न्यायालय में :– श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निग0 2647-III/15

गुलाब सिंह पिता चिडड़ा गोड़ निवासी सेमरवार तहसील जैतहरी जिला–अनूपपुर (म0प्र0)
.... निगरानीकार

बनाम्

शिवप्रसाद पिता पंचू चर्मकार जाति चमार निवासी ठोढीपानी तहसील जैतहरी जिला–अनूपपुर (म0प्र0) ....गैर निगरानीकार उत्तरवादी

प्रकरण–निगरानी विरुद्ध निर्णय न्यायालय श्री मान् तहसीलदार महोदय तहसील जैतहरी बसिलसिले राजस्व प्रकरण क्रमांक 17/अ–12/2000–2001 आदेश दिनांक 30/12/2000

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.रा.सं0 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है :–

मामले के तथ्य

मामले का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ठोढीपानी तहसील जैतहरी तत्कालीन जिला–शहडोल वर्तमान जिला–अनूपपुर (म0प्र0) स्थित आराजी खसरा नं0 12/7 रकवा 2.606 हे0 तथा खसरा 12/11 रकवा 1.416 हे0 प्रार्थी निगरानी कर्ता के पटट्े कब्जे दखल व भू–स्वामित्व की भूमियॉ है।

तथा आराजी ख0 नं0 12/1ग रकवा 0.575 हे0 गैर निगरानीकर्ता के पटटे की भूमि है। जो कि पूर्व में शासकीय भूमि 12/1 की थी।

उक्त भूमि ख0 नं0 12/1ग रकवा 0.575 हे0 का सीमांकन कराने हेतु गैर निगरानी कर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया जिसमें अधीनस्थ न्याया0 द्वारा

गुलाबसिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(5)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2647-तीन/15 **जिला** - अनूपपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के. अग्रवाल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार तहसील जैतहरी के प्रकरण क्र. 17/अ-12/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी जिला अनूपपुर के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	